पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2570

दिनांक-26.10.2025

जोन-पश्चिमी/थाना-बाजारखाला

- **दिनांक 14.10.2025 को बन्द पडे मकान का ताला तोडकर नगदी व जेबरात चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से एक लाख रूपये की नगदी व 500 ग्राम सफेद धातु के जेवरात व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.10.2025 को थाना क्षेत्र के बीट हैदरगंज अन्तर्गत बन्द पडे मकान का ताला तोडकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नगदी व जेबरात चोरी कर लेने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 305(ए)/331(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के त्वरित अनावरण हेतु श्रीमान विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिमी, श्रीमान धनंजय कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त महोदय पश्चिमी के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान वीरेन्द्र विक्रम सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया एवं टास्क निर्धारित किये गये। गठित टीमों द्वारा करीब 150-160 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गयी।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन की तकनीकी सहायता ली गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना बाजारखाला पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। जिसके फलस्वरूप थाना बाजारखाला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.10.2025 को अभियुक्त 1.असगर अली पुत्र मो0 कासिम अंसारी निवासी नबी नगर नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव लखनऊ उम्र 21 वर्ष 2.अब्दुल रहमान उर्फ समीर पुत्र अजमत अली निवासी अजीज नगर नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 3.फहद अहमद उर्फ सद्दाम पुत्र अयूब अहमद निवासी अन्ना मार्केट प्रीति नगर थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष 4.अरसू पुत्र मो0 आरिफ निवासी नौबस्ता पुलिया गायत्री नगर थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष भूसा मंडी से माल गोदम जाने वाले मार्ग पर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे से माल का बँटवारा करते व अगली घटना कारित करने की योजना बनाते समय मय नगदी व जेवरात सहित समय करीब 23.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-मॉड्यूस ऑपरेंडी-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बन्द पडे मकानों को निशाना बनाकर रैकी करते हुए घर का ताला तोडकर नगदी व जेबरात चोरी करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1.असगर अली पुत्र मो0 कासिम अंसारी निवासी नबी नगर नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव लखनऊ उम्र 21 वर्ष

2.अब्दुल रहमान उर्फ समीर पुत्र अजमत अली निवासी अजीज नगर नौबस्ता पुलिया थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

3.फहद अहमद उर्फ सद्दाम पुत्र अयूब अहमद निवासी अन्ना मार्केट प्रीति नगर थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

4.अरसू पुत्र मो0 आरिफ निवासी नौबस्ता पुलिया गायत्री नगर थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-गिरफ्तारी स्थान:-

भूसा मंडी से माल गोदम जाने वाले मार्ग पर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे से थाना बाजारखाला लखनऊ

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 171/25 धारा 305(ए)/331(2) भादवि व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

08-अभियुक्त असगर अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 471/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) थाना मडियांव लखनऊ
2. मु0अ0सं0 513/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) थाना मडियांव लखनऊ
3. मु0अ0सं0 522/24 धारा 87/137(2) थाना मडियांव लखनऊ

06-बरामदगी-

- 1,00,000/- रूपये की नगद
- चांदी के जेवरात
- घटना में प्रयुक्त मोंटरसाइकिल टीवीएस राइडर UP32 PQ 2769

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन	थाना बाजारखाला पुलिस टीम
1. उ0नि0 आशीष बालियान प्रभारी सर्विलांस सेल।	1. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह थाना बाजारखाला लखनऊ।
2. उ0नि0 अंकित कुमार सर्विलांस सेल।	2. उ0नि0 श्री दीपांकर शर्मा थाना बाजारखाला लखनऊ।
3. हे0का0 मो0 अहमद सर्विलांस सेल।	3. उ0नि0 श्री आशुतोष मौर्या थाना बाजारखाला लखनऊ।
4. हे0का0 वीर सिंह सर्विलांस सेल।	4. का0 देव नारायण थाना बाजारखाला लखनऊ।
5. हे0का0 श्रीगोविन्द सर्विलांस सेल।	5. का0 प्रवीन कुमार थाना बाजारखाला लखनऊ।
6. हे0का0 प्रदीप तिवारी सर्विलांस सर्विलांस सेल।	
7. का0 आशीष कुमार कुशवाहा सर्विलांस सेल।	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2568
दिनांक- 26.10.2025

जोन-उत्तरी/थाना-जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरण करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.07.2022 को वादी श्री राजकुमार गौतम पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासी मोतीझील कालोनी ऐशबाग थाना बाजारखाला द्वारा शिकायत किया गया कि विपक्षीगणों द्वारा वादी के बहनोई से पैसे ले लेना व वापस न देना मांगने पर जान से मारने की धमकी देना गाली गलौज करना जिससे वादी के बहनोई व उसके परिवार को आहत पहुंचना तथा उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 406/504/506/306 भादवि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व अन्य पंजीकृत कर विवेचना श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज महोदय को सुपुर्द हुई।

दिनांक 26.10.2025 को थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त संतोष कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 कृपाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम मोहना पोस्ट सेठमऊ थाना सतरिख जिला बाराबंकी के अंकित पते पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तो अभियुक्त संतोष कुमार शुक्ला उपरोक्त घर पर मौजूद मिला जिसे मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए मौके से हिरासत पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामशंकर लाल श्रीवास्तव निवासी- ए-3 सन सिटी जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ गिरफ्तारी/तलाश हेतु उपरोक्त पते पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त घर पर मौजूद मिला जिसे मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संतोष कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 कृपाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम मोहना पोस्ट सेठमऊ थाना सतरिख जिला बाराबंकी उम्र 45 (व्यवसाय – किराना की दुकान) ।
2. शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामशंकर लाल श्रीवास्तव निवासी- ए-3 सन सिटी जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र 48 वर्ष (व्यवसाय – बैक के कर्मचारी)

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम

1. उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह
3. हे0का0 अजीत कुमार वर्मा

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजन चौहान पुत्र वकील चौहान निवासी ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी उम्र 21 वर्ष
2. अमित कुमार गुप्ता पुत्र कन्हैया शाह निवासी ग्राम फेसुड़ा थाना सैयदराजा जिला चंदौली उम्र 32 वर्ष।

04-पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 421/2025 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ

05-अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 169/2020 धारास 323/498ए भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली।
2. मु0अ0सं0 114/2024 धारा 3/5क/8/5 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा जिला चंदौली।

06-बरामदगी-

- अभियुक्तों के कब्जे से 05 अदद गोवंश बरामद।
- अभियुक्त द्वारा गोवंश को परिवहन में प्रयोग की जा रही बोलेरो पिकअप चेचिस न0 MA1ZN2TTKS1J85822 बरामद

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश राठौर कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री मोबिन अली कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 श्री प्रदीप कुशवाहा कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ
4. का0 गजेन्द्र कुमार कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ
5. का0 आकाश कुमार कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ
6. का0 सुरेन्द्र कुमार कोतवाली काकोरी जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2573
दिनांक 26.10.2025

जोन-उत्तरी /थाना-माल

- **थाना माल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 -चतुर्थ लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद सं0 4539/13 मु0अ0सं0 104/95 धारा 394 भादवि थाना माल जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त खुशीराम उर्फ मिश्रीलाल पुत्र माखनलाल नि0 ग्राम भदवाना थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम भदवाना थाना मलिहाबाद से आज दिनांक 26.10.2025 को गिरफ्तार किया गया, थाना स्थानीय से अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-वारंट का विवरण-

01-वाद सं0 4539/13 मु0अ0सं0 104/95 धारा 394 भादवि थाना माल लखनऊ

03-वारण्टी अभियुक्त का विवरण:

1. खुशीराम उर्फ मिश्रीलाल पुत्र माखनलाल नि0 ग्राम भदवाना थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 65 (मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

2. उ0 नि0 श्री अभय कुमार बाजपेयी
3. उ0नि0 श्री अमरपाल साहू

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2574
दिनांक-26.10. 2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

- **नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण :-

श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय व **श्री निपुण अग्रवाल** पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन व **श्री रल्ला पल्ली बसन्थ कुमार** $_{IPS}$ अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व **श्री ऋषभ रूणवाल** $_{IPS}$ सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं **श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह** प्रभारी निरीक्षक पीजीआई महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पीजीआई पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.10.2025 को थाना क्षेत्र पीजीआई रायल पंजाव होटल से नामित विवेक कुमार धानुक पुत्र छोटेलाल धानुक उम्र 19 वर्ष निवासी- ग्राम पटनहन खेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता- नर्सिंग मंदिर चरण भट्टा रोड थाना पीजीआई लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 26.10.2025 को पीड़िता की माँ/वादिनी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर आकर बावत विपक्षी द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा0पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 542/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम - विवेक कुमार धानुक पुत्र छोटेलाल धानुक उम्र 19 वर्ष निवासी- ग्राम पटनहन खेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता- नर्सिंग मंदिर चरण भट्टा रोड थाना पीजीआई लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पीडिता का बरामद किया गया। तथा पीडिता के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके अंकित पते व मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी। आज दिनांक 26.10.2025 को जरिये मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे का अभियुक्त विवेक कुमार धानुक उपरोक्त कही बाहर जाने की फिराक में रायल पंजाब होटल के पास खडा है,सूचना पाकर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा अभियुक्त को रायल पंजाब होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार मा0 न्यायालय समक्ष भेजा जा रहा है।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु.अ.सं. 542/2025 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ

चोरी किये गये रूपयों को हम तीनों ने बँटवारा कर लिया था। जिसमें से मुझे 9000/- रूपये लिये थे। उनमें से मेरे पास यही 2330 रूपये बचे हैं। तथा शेष रूपये मैने खर्च कर दिये है। बरामद छोटी टार्च नीले रंग की व 01 अदद लोहे की छेनी के बारे में पूछने पर बताया कि इन्ही उपकरणों का प्रयोग कर हम लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। तत्पश्चात मौके से भागे हुए व्यक्ति का नाम पता दोनो व्यक्तियों से पूछने पर दोनों ने भागे हुए व्यक्ति का नाम समीर उर्फ मो0 रऊफ पुत्र अजीज अहमद निवासी 448/119 मुसाहिबगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ बताया।

मोटर साईकिल अपाचे रंग काला UP32 NZ0857 के सम्बन्ध में पूछने पर भागे हुए व्यक्ति समीर उर्फ मो0 रउफ का होना बताये।। हम तीनों लोग घर व अंग्रेजी शराब की दुकान व अन्य जगहों की रैकी कर चोरी कर प्राप्त रुपयों से अपना जीवकोपार्जन व शौक पूरा करते हैं। पूर्व में भी हम लोग विभिन्न अपराध में जेल जा चुके हैं। चोरी के पैसो का काफी हिस्सा खर्चा होने के कराण आज हम लोग घरों व दुकानों की रैकी कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया।

अभियुक्तगण को जुर्म धारा से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 88/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 111/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 128/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उपरोक्त मुकदमा में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी के समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही विधिक पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

02-अपराध का उद्देशय-

अंग्रेजी शराब की दुकानों व घरों की रैकी कर चोरी करना

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 इरशाद उर्फ दीवाना पुत्र मो0 हुसैन निवासी चौसा थाना बघौली जिला हरदोई उम्र लगभग 25 वर्ष
2. जनार्दन तिवारी पुत्र अवधराम उम्र करीब 29 वर्ष निवासी जमौली थाना रेउसा जिला सीतापुर हाल पता किराये का मकान अनूप नौबस्ता थाना मडियाव लखनऊ

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0128/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0088/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ
3. मु0अ0सं0 0111/2025 धारा 305(a)/331(4)/ 317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

04-बरामदगी-

- 01 अदद लोहे की सब्बल
- 01 अदद लोहे की छेनी
- 01 अदद कनपट्टी व
- 01 अदद सर्जिकल ग्लव्स व
- 01 अदद छोटी टार्च
- कुल 12,330/- रूपये नगद
- 01 अदद वाहन अपाचे UP32 NZ0857 सीजशुदा अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट

06-अभियुक्त जनार्दन तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 175/2024 धारा 381 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 270/2024 धारा 25(1बी) आयुध अधिनियम थाना रेउसा जनपद सीतापुर

3. मु0अ0सं0 978/2022 धारा 381 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत

07- अभियुक्त मो0 इरशाद उर्फ दीवाना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0493/2017 धारा 380/411/457 भादवि थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ
2.मु0अ0सं0 0815/2017 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ
3.मु0अ0सं0 0095/2018 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ
4.मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 380/411/454 भादवि थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ
5.मु0अ0सं0 0034/2019 धारा 399/401 भादवि थाना आलमबाग जनपद लखनऊ
6.मु0अ0सं0 0375/2021 धारा 457/511 भादवि थाना हसनगंज जनपद लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. उ0नि0 श्री रामदेव
2. उ0नि0 श्री सौरभ कुमार
3. उ0नि0 श्री अनुराग गोस्वामी
4. हे0का0 केशवराम
5. हे0का0 मो0 नदीम शेख
6. का0 प्रमोद प्रजापति
7. का0 अरविन्द कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2572
दिनांक-26.10.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा विगत कई वर्षो से फरार चल रहे 02 वारण्टी/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय की टीम द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत एनबीड्ब्लू व धारा 82/83 सीआरपीसी वाद सं0-4786/98 मु0अ0सं0 384/92 अन्तर्गत धारा 381/411 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी / मफरुर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र राम आधार उम्र 50 वर्ष निवासी सराय अलीपुर थाना काकोरी लखनऊ को दिनांक 25.10.2025 समय करीब 23.45 पर थाना स्थानीय से मा0 न्यायालय के द्वारा जारी एनबीडब्लू आदेश के परिपेक्ष्य में गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सन् 1992 में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो जेल गया था तब से फरार चल रहा था। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू व धारा 82/83 सीआरपीसी (कुर्की) की आदेशिका जारी की गयी थी जो विगत 32 वर्षो से फरार चल रहा था तथा लुकछिप कर स्थान बदल कर रह रहा था। जिसे मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे दिनांक 25.10.2025 को समय करीब 23.45 बजे पर थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को उसके घर के बगल से गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत एनबीड्ब्लू वाद सं 632ए/13 अ0सं0 209/12 धारा 323/352/427/506 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी / मफरुर अभियुक्त इरफान पुत्र मन्नान उम्र 42 वर्ष नि0 हैदर मिर्जा रोड निकट सुमित पान पैलेस साफिया नर्सिंग होम गोलागंज लखनऊ को दिनांक 26.10.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा उसके निवास स्थान हैदर मिर्जा रोड निकट सुमित पान पैलेस साफिया नर्सिंग होम गोलागंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया । जिसके संबन्ध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का विवरण-

1. अनिल कुमार पुत्र राम आधार उम्र 50 वर्ष निवासी सराय अलीपुर थाना काकोरी लखनऊ
2. इरफान पुत्र मन्नान उम्र 42 वर्ष नि0 हैदर मिर्जा रोड निकट सुमित पान पैलेस साफिया नर्सिंग होम गोलागंज लखनऊ

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद का विवरणः-

1. वाद सं0 4786/98 मु0अ0सं0 384/92 अन्तर्गत धारा 381/411 भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ
2. वाद सं 632ए/13 अ0सं0 209/12 धारा 323/352/427/506 भादवि थाना वजीरगंज लखनऊ

05-गिरफ्तरी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री कपिल चौधरी
3. उ0नि0 श्री रंजीत पाठक
4. का0 दिलीप कुमार
5. का0 चा0 राहुल भारतीय
6. का0 संतोष कुमार
7. का0 रोहित पासवान

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2569

दिनांक-26.10.2025

लखनऊ पुलिस ने छठ महापर्व की सुरक्षा को लेकर की पूरी तैयारी: कमिश्नरेट पुलिस के पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम।

दिनांक 28 अक्टूबर, मंगलवार को आयोजित होने वाले महापर्व छठ पूजा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में विभिन्न स्थलों/घाटों पर मनाया जायेगा, जिसको सकुशल सम्पन्न कराने हेतु एवं श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पूजा अर्चना के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए समुचित पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है।

छठ पूजा का आयोजन—

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में **महापर्व छठ पूजा** का आयोजन विभिन्न स्थलों/घाटों पर किया जायेगा।

जोन	स्थल
पूर्वी	30
पश्चिमी	12
उत्तरी	06
दक्षिणी	35
मध्य	09
कुल योग	92

प्रमुख भीड़भाड़ वाले घाट – कुडियाघाट, गोरिल्ला तालाब (पारा मार्केट डॉ0खेडा), लक्ष्मण मेला छठ घाट, झूलेलाल पार्क, छोहरिया माता मन्दिर कस्बा, इमली बाधन मन्दिर, गौरी बाजार (निकट हीरालाल यादव कॉलेज), लल्लूमल घाट, पक्का पुल, हनुमान सेतु, निशातगंज, खाटू श्याम मंदिर घाट, गोमती बैराज, पिपराघाट, मां चन्द्रिका देवी घाट आदि का पुलिस आयुक्त ने सभी जोन के डीसीपी व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण किया और सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सुरक्षा तैनाती

- महापर्व छठ पूजा के दृष्टिगत **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में** विभिन्न कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु **14 राजपत्रित अधिकारियों** व **75 निरीक्षक, 472 उपनिरीक्षक, 51 महिला उपनिरीक्षक, 645 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 329** महिला आरक्षी **कुल 1572 अराजपत्रित अधिकारी** की ड्यूटी लगाई गयी है, जिसका पर्यवेक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त **06 कम्पनी, 02 प्लाटून, 1.5 सेक्शन पीएसी बल** की भी तैनाती की जा रही है।

- **यातायात पुलिस बल**

ट्रैफिक उपनिरीक्षक	50
मुख्य आरक्षी	50
आरक्षी	112
होमगार्ड के जवान	25
कुल योग	**239**

छठ पूजा स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं-

- घाटों पर **अस्थायी शौचालय, सफाई, कीटनाशक छिड़काव व महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था।**
- श्रद्धालुओं के लिए **चिकित्सक दल व एंबुलेंस** की तैनाती।
- गहरे पानी में जाने से रोकने हेतु बैरीकेडिंग, **जल पुलिस, स्टीमर व मोटरबोट** की उपलब्धता।
- नगर निगम द्वारा **स्थायी व अस्थायी सीढ़ियों का निर्माण** व फिसलन से बचाव।
- महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए **सीसीटीवी व सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात।**
- प्रत्येक घाट पर **कंट्रोल रूम की स्थापना,** घाट प्रभारी नियुक्त।
- आयोजन समितियों को **भीड़ नियंत्रण हेतु जन-जागरूकता** के निर्देश।
- **फायर टेंडर व अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता** सुनिश्चित।

घाटों की सुरक्षा योजना

प्रमुख सुरक्षा और व्यवस्था उपाय:

- उच्चाधिकारियों द्वारा सभी घाटों व आयोजन स्थलों का निरीक्षण कर लिया गया है, **आयोजन समितियों के साथ बैठक** कर सभी समस्याओं के सम्बन्ध में विचार किया गया है।
- **तकनीकी निगरानी:** सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जाएगी।
- **जल सुरक्षा:** सभी घाटों पर पीएसी की मोटर बोट, गोताखोर और जल पुलिस तैनात। गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है।
- **महिला एवं बच्चों की सुरक्षा: एंटी-रोमियो टीमें** और सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात, जो छेड़छाड़ और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर नजर रखेंगी।
- **भीड़ प्रबंधन:** सभी स्थलों पर कंट्रोल रूम, पर्याप्त बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
- **आपातकालीन व्यवस्था:** आग से बचाव के लिए फायर टेंडर और अग्निशमन दल, तथा चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम उपलब्ध कराई गई है।

- **सोशल मीडिया** की **राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग** की जायेगी। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसेफेसबुक-, इस्टाग्राम, ट्विटर एवं वाट्सएप आदि पर **तकनीकी टीमों (सर्विलांस सेल)** द्वारा विशेष निगरानी रखी जायेगी।
- **उपद्रवी एवं शरारती तत्व द्वारा** की जाने वाली किसी भी प्रतिकूल पोस्ट/प्रतिक्रिया के संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक कराते हुए सम्बन्धित के **विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराते हुए तत्काल अफवाहों का खण्डन किया जायेगा।**
- **सीसीटीवी कैमरों** और **ड्रोन** से संवेदनशील स्थानों/घाटों पर **वीडियोग्राफी टीमों** द्वारा निगरानी की जा रही है।

अन्य विभागों के सहयोग से सुविधाएँ:

- **नगर निगम:** घाटों पर प्रकाश, सफाई, अस्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम और फिसलन रोकने के लिए सीढ़ियों का निर्माण।
- **बेहतर समन्वय:** पुलिस और आयोजन समितियों के बीच त्वरित संवाद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ नागरिकों से अपील करता है कि श्रद्धालु छठ पूजा के दौरान नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और पर्व को शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द के साथ सम्पन्न करें।